आदेश का सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

27.08.2019

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-03/2018

1. **विणा कुमारी, पति-शंकर यादव, सा0-बरियाही, थाना-बनकनखी, जिला-पूर्णिया ।**

.... अपीलार्थी

बनाम

1. **जिला प्राग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ।**
2. **प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, हरिपुरमादी, टोला मोहनिया पूरब, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया ।**
3. **मसो0 सीता देवी, पति-स्व0 तेज नारायण यादव, सा0-बरियाही, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया ।**

.... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-135/जि0प्रो0, दिनांक-04.02.2017** के विरूद्ध दायर किया गया है । यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द्र सं0-93, वार्ड सं0-13, पंचायत-काझी हृदयनगर, परियोजना-बनमनखी** के **सहायिका** पद से संबंधित है ।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र पर सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2016 के अनुरूप अपीलार्थी का चयन किया गया था, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि विपक्षी सं0-03, जो विधवा हैं का चयन न कर अपीलार्थी का चयन सही नहीं है। जबकि विपक्षी सं0-03 का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (आठवीं पास) फर्जी है। अपीलार्थी का अनुरोध है कि विपक्षी सं0-03 के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का जाँच कराकर चयन रद्द किया जाय तथा अपील आवेदन स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी सं0-03 के द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा का अवलोकन किया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका मुख्य रूप से कथन है कि विधवा होने तथा न्युनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विपक्षी सं0-03 के चयन का आदेश निम्न न्यायालय द्वारा दिया गया, जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा अनावश्यक रूप से इस वाद को लाया गया है, जो पोषणीय नहीं है। अतृएव अपील आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

इस वाद में **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 168/जि0प्रो0 दिनांक 07.02.2018** द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन का अवलोकन किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रतिवेदित है कि विपक्षी सं0-03 का चयन विधवा होने के आधार पर किया गया है। साथ ही विपक्षी सं0-03 मेधासूची में प्रथम स्थान पर है।

इस वाद में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 657/सा0शि0 दिनांक 15.11.18 द्वारा विपक्षी सं0-03 के स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र सं0-63 दिनांक 11.11.2013 के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें उल्लेखित है कि उक्त प्रमाण-पत्र मध्य विद्यालय, हरिपुरमादी से निर्गत नहीं है। इस संबंध में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, श्रीमति सुनिता कुमारी को दिनांक 27.08.2019 को न्यायालय में सशरीर उपस्थित कराकर सुनवाई की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विपक्षी सीता देवी को निर्गत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र पर उनका हस्ताक्षर नहीं है।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों, उनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन, प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विपक्षी सं0-03 द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र सं0-63 दिनांक 11.11.2013 फर्जी है, जिसके आधार पर विपक्षी सं0-03 का चयन हुआ है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है।

अतः **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 135/जि0प्रो0 दिनांक 04.02.2017** में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा विपक्षी सं0-03 के चयन को रद्द करते हुए अपीलार्थी के चयन का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।